

पंजाब कैसरी 27-10-2024

जी.एम.एन. कॉलेज में मोटर वाहन अधिनियम पर हुआ जागरुकता कार्यक्रम



जी.एम.एन. कॉलेज में लीगल लिटरेसी सैल द्वारा मोटर वाहन अधिनियम पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थी और प्राचार्य डा. रोहित दत्त। (देवदत्त)

के प्रभावों के बारे में जानकारी दी। प्रो. जसमिता हांडा ने कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया, जिससे कार्यक्रमों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ।

प्रो. रीतिका राय ने तकनीकी पहलुओं को सहजता से प्रतिबिंबित किया। लगभग 50 विद्यार्थियों ने सत्र में भाग लिया और मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की।

अम्बाला, 26 अक्टूबर (बलराम): छावनी स्थित जी.एम.एन. कॉलेज में शनिवार को प्राचार्य डा. रोहित दत्त के दिशानिर्देशानुसार लीगल लिटरेसी सैल के द्वारा डा. सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में मोटर वाहन अधिनियम-2022 पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डा. सुरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और दैनिक जीवन में कानूनी साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर बलराम सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम में हाल ही में हुए संशोधनों पर गहन प्रस्तुति दी। उनके व्याख्यान ने छात्रों को सड़क सुरक्षा, कानूनी जिम्मेदारियों और अनुपालन पर इन परिवर्तनों